

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

E-Mail- caodlb@gmail.com
Tel./Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक: प.6/लेखा/RTIDF/डीएलबी/कुशललेक/2015-16/3848 दिनांक: 18/03/2019

-:स्वीकृति आदेश:-

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) संचालन समिति की नवम् बैठक दिनांक 21.11.2016 के कार्यवाही विवरण क्रमांक 21155 दिनांक 25.11.2016 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 9.4.7 के निर्णय के क्रम में कुशललेक फेज-द्वितीय के कार्यो हेतु आयुक्त, नगर परिषद् गंगपुरसिटी को राशि रूपये 500.00 लाख (अक्षरे रूपये पांच करोड मात्र) निम्नांकित बजट मद से उनके निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण निम्नानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

| विकलेय मद | (राशि लाख में) जारी की जाने वाली राशि |
|--|--|
| मांग संख्या - 29 | |
| 2217 - शहरी विकास | |
| 80 - सामान्य | |
| 800 - अन्य व्यय | |
| (08) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि | |
| [01] - स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से | |
| 93 - पूजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (आयोजना) | 500.00 |
| कुल योग | 500.00 |

उक्त राशि हस्तांतरण की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधधीन जारी की गई है:-

01. निकाय राशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाना सुनिश्चित करेगा, जिस हेतु राशि जारी की गई है।
02. निकाय इस राशि के व्यय में RTPP Act 2012/Rules 2013 संबंधित वित्तीय नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा।
03. निकाय योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ही उक्त राशि व्यय करेगा।
04. निकाय राशि रिलीज के आगामी प्रस्ताव के साथ कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. क्रमांक 171900148 दिनांक 08.03.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.6/लेखा/RTIDF/डीएलबी/कुशल लेक/2015-16/3849-62 दिनांक: 18/03/2019

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. महालेखाकर (लेखा एवं हक)/लेखा परीक्षा-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
05. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।